

न्यायालय अंचल अधिकारी देवरी।

प्रथम पक्ष: आरखण्ड राज्य

बनाम

द्वितीय पक्ष: नीलम राय,

पति-उपेन्द्र राय

राजू चौधरी, महावीर रविदास

पांचु तेवारी पिता अकलु तेवारी

खिरोधर साव पिता स्व० जातो साहू

लालो रविदास पिता स्व० नाथु रविदास

लालो रविदास पिता स्व० थानु रविदास

बालेश्वर रविदास पिता स्व० विन्तामन रविदास

सा०असको थाना-देवरी


जिला-गिरिडीह।

केश सं०- 19/2020-21

केश का प्रकार- **विविध वाय**

आवेदन की प्रति प्रतिलिपि एव तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आवेदन का की कालिका का सं० नं० तारीख दर्जित
---	---------------------------------------	---

नीलम राय पति उपेन्द्र राय साकिन असको थाना देवरी जिला गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन पत्र समर्पित कर खाता नं० 13 कुल रकमा 761९० भूमि का Online पंजी।। में दर्ज करने का अनुरोध किया है। आवेदन में संलग्न लगान रसीद में दर्ज पंजी।। भोलूम सं० तथा पृष्ठ सं० के संबंध में अभिलेखागार गिरिडीह द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित भोलूम नं० 1 पृष्ठ सं० 17 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। आवेदन में संलग्न रसीद के संबंध में कार्यवाहक सहायक द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। Online खतियान तथा पंजी।। के अवलोकन में पाया गया कि खतियानी रकमा से जमाबंदी रकमा अधिक है। अतः आवेदक तथा सभी जमाबंदी रैयतों को नोटिस निर्गम करे। अभिलेख दिनांक 26.11.2020 रखें।


 12-11-2020
 अंचल अधिकारी
 देवरी।



26.11.2020

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के नीलम राय, राजू चौधरी के पक्ष में वासुडी चौधरी तथा बालेश्वर रविदास उपस्थित हुए अन्य अनुपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा सिर्फ ऑखिड कात रखा गया जिससे कुछ ब्यापक नहीं हो पा रहा है। अतः आपकी राय में राक्या के साथ लिखित जवाब दाखिल करें।
 अभिलेख 10.12.2020 में रखें।


 26.11.2020

10.12.2020


अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के नीलम राय के अतिरिक्त अन्य अनुपस्थित। अनुपस्थित लोगों के लिखित जवाब ~~अनुपस्थित~~ के साथ उपस्थित हैं। अतः नोटिस निर्गम करे। अभिलेख 24.12.2020 में रखें।


 10.12.2020

 10.12.2020

24.12.2020

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष ने लिखित दावा किया है कि मूल खतियान में कुल 31 प्लॉट शामिल हैं जिसका कुल रकबा 17.28 एउड है जबकि ऑनलाईन खतियान में 24 प्लॉट रकबा 9.45 एउड इष्टी है। सब ही राजू चौधरी को हमारे पूर्वज ने 7.48 एउड भूमि बिक्री किचे है, जबकी Online पंजी II में राजू चौधरी के नाम 8.61 एउड भूमि दर्ज हो गया है।

उभय कार्यवाहक सहायक को निर्देश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत खतियान को स्थापन अभिलेखागार गिरिडीह से उरामा सुनिश्चित करें। अभिलेख दिनांक 21.01.21 को करें।



9.1.21

21.1.21

अभिलेख उपस्थापित किया गया। खतियान स्थापन कले हेतु एक कार्यवाहक ने पत्रांक 22 दिनांक 16/1/21 भेजा गया है। पत्रांक परीवेक अयावर है परीवेक प्रायः क्षेत्र के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें।


20/10/2021

अभिलेख उपस्थापित। कच्ची की ओर को राजकी दायित्व जिला गया। दखलन कम-निरीक्षण एंग्र प्रक अंचल निरीक्षण से सुस्पष्ट जॉय प्रविष्टन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 13/11/2021 को करें।



20/10/2021

18/01/22


अभिलेख उपस्थापित। वादी की ओर से दलील पारित किया गया। राज्य उप-निरीक्षक एवं प्र. अंचल निरीक्षक का जॉय प्रतिक्रम अग्रप।
अभिलेख दिनांक 30/12/22 को रखें।


310 310

30/12/22 अभिलेख उपस्थापित। वादी की ओर से दलील पारित किया गया। राज्य उप-निरीक्षक एवं प्र. अंचल निरीक्षक का जॉय प्रतिक्रम अग्रप।
अभिलेख दिनांक 29/01/22 को रखें।


310 310


29/01/22 अभिलेख उपस्थापित। वादी की ओर से दलील पारित किया गया। अभिलेख दिनांक 18-02-22 को रखें।


310 310


18/02/22 अभिलेख उपस्थापित। वादी अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 24/02/22 को रखें।


310 310


24/02/22 अभिलेख उपस्थापित। वादी अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 25/02/22 को रखें।


310 310


25/02/22 अधिलेख उपस्थापित । वादी अनुपस्थित ।
अधिलेख दिनांक पीलासीन पदाधिकारी उच्च
न्यायालय राँची में होठ के कारण । अधिलेख
दिनांक 01/04/22 को रखें ।


310 310


01/04/22 अधिलेख उपस्थापित किया गया । वादी अनुपस्थित ।
अधिलेख दिनांक 28.06.22 को रखें ।


310 310


28/06/22 अधिलेख उपस्थापित किया गया । वादी अनुपस्थित ।
अधिलेख दिनांक 29/07/22 को रखें ।


310 310


29/07/22 अधिलेख उपस्थापित किया गया । वादी अनुपस्थित ।
अधिलेख दिनांक 23/08/22 को रखें ।


310 310

23/08/22 अधिलेख उपस्थापित । वादी अनुपस्थित ।
अधिलेख दिनांक 13/09/22 को रखें ।



310 310

13/09/22 अधिलेख उपस्थापित । वादी अनुपस्थित ।
अधिलेख दिनांक 20/09/22 को रखें ।


310 310


20/09/22

अभिलेख उपस्थापित। वादी अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 11/10/22 को रखें।


310 310


11/10/22

अभिलेख उपस्थापित। ~~अभिलेख~~ वादी अनुपस्थित।
आरखण्ड राज्या अराजपत्रित कर्मगरी मद्यासंग
दिनु शंजी के पुस विज्ञापित को द्वारा एक दिवसीय
धरना पुवशीर करत हेतु गिरिडीह समाहरणालय
में उपस्थित होत के उपरान्त कार्यवाहक
सहायक कागलिय में अनुपस्थित। अभिलेख
दिनांक 28/10/22 को रखें।


310 310

28/10/22

अभिलेख उपस्थापित। वादी अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 11/11/22 को रखें।


310 310


11/11/22

अभिलेख उपस्थापित। वादी अनुपस्थित।
पीठासीन पदाधिकारी आपकी आज्ञा आपकी
सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में अवस्थ
होत के कारण। अभिलेख दिनांक 29/11/22
को रखें।


310 310


29/11/22

अभिलेख उपस्थापित। वादी अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 23/12/22 का खर्च।


310 310

23/12/22

अभिलेख उपस्थापित। वादी अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 20/01/23 का खर्च।


310 310

20/01/23

अभिलेख उपस्थापित। वादी अनुपस्थित।
वीकसीन पदाधिकारी गिरिडीह समाहरणालय
मीटिंग में उपस्थित होने का कारण। अभिलेख
दिनांक 27/01/23 का खर्च।



27/01/23

अभिलेख उपस्थापित। वादी अनुपस्थित।
अभिलेख के अलावा के खर्च होता है कि
वादी कई विधिगत खर्च अनुपस्थित रहे हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि वादी का इधर उधर
प्रति कोई अभिलेख नहीं है।

20/01/23

शतएव काद खरिज विभागाध्यक्ष



27/01/2023